


कार्यालय पुलिस अधीक्षक रिकॉग पीओ जिला किन्नौर।



प्रेस नोट

दिनांक 30.1.17 को मु० आ० दीपक कुमार पुलिस मुलाजमानों के साथ सरकारी वाहन में गश्त मुकाम नाथपा, वागतू की तरफ रवाना था, तो इस दौरान वागतू के पास पहुंचने पर देखा कि एक व्यक्ति जो हाथ में लाल रंग का एक छोटा कैरी बैग लेकर वागतू से भावानगर की तरफ आ रहा था पुलिस वाहन को देखाकर घबरा गया व हाथ में पकड़े बैग को फेंक कर भागने लगा, शक होने पर पुलिस ने पीछा कर उसे काबू में किया व उस के दारा फेंके गए कैरी बैग को भी कब्जे में लिया गया। पूछताछ करने पर उसने अपना नाम रघुवीर उर्फ रघु पुत्र स्व० श्री शेर सिंह निवासी गों० कण्डार डॉ० नाथपा तह० निवार जिला किन्नौर बताया। बैग की तालाशी लेने पर अखबार में लिपटी हुई 135 ग्राम वरस जो 33 छोटी बड़ी बत्तीयां थी बरामद की गई, जिस आधार पर पुलिस थाना भावानगर में अभियोग संख्या 9/17 रवापक औषधी एवं मन प्रभावी अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत पंजीकृत किया गया तथा उपरोक्त व्यक्ति को गिरफ्तार करके उससे पूछताछ की जा रही है।

समस्त स्थानिय संवाददाता

प्रतिलिपी:

i/c DCRB को किन्नौर पुलिस वेब साईट पर अपलोड करने हेतू प्रेषित है।

(रोहित मालपानी) भा०पु०से०
पुलिस अधीक्षक
जिला किन्नौर स्थित रिकॉग पिओ।

(रोहित मालपानी) भा०पु०से०
पुलिस अधीक्षक
जिला किन्नौर स्थित रिकॉग पिओ।